प्रेषक,

ऋषि कुमार,
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
बुलन्दशहर।

सेवा में,

सूचना विज्ञान अधिकारी,
एन० आई. सी०,
बुलन्दशहर।

पत्रांक /२२३/३४ पी०एल०वी० पत्रा० दिनांक २१, जुलाई२०१७,

विषयः-जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में पराविधिक स्वयं सेवको की नियुक्ति

महोदय,

उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त दिशा निर्देशो के अनुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुलन्दशहर के द्वारा समाज के पिछडे, गरीब तथा दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र के सभी वर्ग के व्यक्तियों को विधिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु ४० पराविधिक स्वयं सेवको का चयन किया जाना है। और चयन में विधि की पढाई कर रहे छात्रों, चिकित्सक, सेवा निवृत सरकारी कर्मचारी, अध्यापक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आदि को वरीयता प्रदान की जायेगी।

आपसे निवेदन है कि आप इस पत्र के साथ संलग्न विज्ञप्ति को जनपद बुलन्दशहर की वेबसाइट पर अपलोड कराये ताकि अधिक से अधिक संख्या में समाज सेवा के इस कार्य के लिये व्यक्ति अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकें।

ससम्मान

भवदीय,

(ऋषि कुमार),
सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
बुलन्दशहर।

दिनांक- २१.०७.२०१७

सलंग्नक-
१-विज्ञप्ति
२-आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रतिलिपिः

माननीय जनपद न्यायाधीश, बुलन्दशहर।

सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
बुलन्दशहर।

दिनांक- २१.०७.२०१७

कायार्लय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बुलन्दशहर।

विज्ञप्ति

दिनांक-१६.०७.२०१७

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुलन्दशहर के द्वारा समाज के पिछडे गरीब व्यक्तियों तथा दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र में सभी वर्ग के लोगो को विधिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु ४० परा विधिक स्वंय सेवको का चयन किया जाना है।

कार्य विवरणः-

पराविधिक स्वंय सेवा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा वर्गीकृत योजनाओं तथा अन्य समाज कल्याण की योजनाओं को समाज के गरीब और वंचित वर्ग तक पहुंचाने का कार्य करेगे, साथ ही विभिन्न जरूरतमन्द लोगों को विधिक सेवाये प्रदान करेंगें।

योग्यताः- कक्षा १० उत्तीर्ण एवं अधिक

आयु सीमाः- आवेदन की अन्तिम तिथि पर १८ वर्ष या अधिक

आवेदन शुल्कः-शून्य

अन्तिम तिथिः- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय बुलन्दशहर में आवेदन प्राप्त होने की अन्तिम तिथि १६-०८- २०१७ है।

इच्छुक व्यक्ति अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत कर सकते है। आवेदन पत्र का प्रारूप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुलन्दशहर में भी निशुल्क उपलब्ध है।

पराविधिक स्वयं सेवको का चयन जिला स्तर पर माननीय जनपद न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक प्राधिकरण, बुलन्दशहर की अध्यक्षता वाली चयन समिति के द्वारा अभ्यर्थी के अनुभव और साक्षात्कार के आधार पर किया जायेगा। चयन में विधि की पढाई कर रह छात्रों एंव सेवा निवृत सरकारी कर्मचारी, अध्यापक, आगंनवाडी कार्यकर्ता तथा चिकित्सक आदि को वरीयता प्रदान की जायेगी।

पराविधिक स्वयं सेवक का कार्य समाज सेवा है और पराविधिक स्वंय सेवको को उनकी सेवाओं के बदले कोई वेतन अथवा भत्ता आदि देय नहीं होगा। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा कार्य के आधार पर मान देय प्रदान किया जा सकता है।

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
बुलन्दशहर।

कायार्लय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बुलन्दशहर।

<u>पैराविधिक स्वयः सेवको हेतु आवेदन पत्र</u>

स्वः
हस्ताक्षरित
फोटो

नामः ------------------

पिता/पति का नामः------------------

जन्म तिथि अंको में---------

शब्दो में----------

जातिः ---------------------

पता मौहल्ला / ग्राम--------------

थाना-------- पोस्ट

ब्लाक------------ तहसील---------

जिला ------------

मोबाइल न० --------

स्थायी पता --------------------------

शैक्षिक योग्यताः--------------------------

अनुभवः ------------------------------

दिनांक हस्ताक्षर

घोषणा

मैं (नाम)------------ पुत्र------------ यह घोषणा करता हँ कि मेरे विरूद्ध कोई अपराधिक मामला लम्बित नहीं है, और किसी न्यायालय से मुझे दोषसिद्ध नहीं किया गया है। मेराकिसी राजनैतिक पार्टी से कोई सम्बन्ध नहीं है तथा एडवोकेट अधिनियम के अन्तर्गत मेरे रजिस्ट्रेशन नहीं है। मेरे द्वारा किये गये उपरोक्त कथन सत्य एवं सही है। मुझे यह भी ज्ञान है कि कोई कथन गलत पाये जाने पर मेरे विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती है।

दिनांक– हस्ताक्षरः–

स्थान– नामः–